तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट गणपतराम बनाम तहसीलदार, मु.न. 2021/7	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

प्रार्थी स्वंय
श्री जगराम मीणा तहसीलदर, परबतसर

निर्णय

दिनांक :– 04.10.2021

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं। कि ग्राम बागोट के खसरा नम्बर 658, 659, 660, 661, 662 कुल रकबा 4.95 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 657 रकबा 2.14 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें नारायणराम पुत्र गापेलराम जाट निवासी बागोट का 1/6 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार थे जिनका सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 30.04.1985 को प्रार्थी के पिता द्वारा क्रय कर लिया था। इसी बेचान के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 411 के जरिये प्रार्थी के स्वर्गीय पिता जीवणराम पुत्र पूसाराम के नाम 1/6 हिस्से की भूमि का इन्द्राज कर दिया गया है नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2046–49 बनायी गई जिसमें लिपिकिय गलती से जीवण की वल्दीयत गलत हुक्माराम दर्ज कर दी गई। चुंकि उक्त भूमि में पाबू पुत्र हुक्मा व मांगू पुत्र हुक्मा भी सह खातेदार होने से उनके पिता का नाम प्रार्थी के पिता जीवणराम के साथ हुक्मा दर्ज कर दिया गया प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 23.04.2020 को हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश है प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के बाद फौतगी नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी के पास गया तब ज्ञात हुआ की प्रार्थी के पिता की वल्दीयत यानि प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त करने हेतु हल्का पटवारी को कहने पर उनके द्वारा इन्कार करने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बागोट के खसरा नम्बर 658, 659, 660, 661, 662 कुल रकबा 4.95 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 657 रकबा 2.14 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम जीवण पुत्र हक्मा के स्थान पर जीवणराम पुत्र पुसाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी को सूचति करते हुए पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बागोट में नियत की गई। जहां प्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी राजपैरोकार तहसीलदार भी उपस्थित होने से अप्रार्थी ने पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन करते हुए प्रकरण में राजहित निहित नहीं होने

से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया जाकर उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ बैचान दस्तावेज की छाया प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम बागोट के गत खसरा नम्बर 280, 281/1, 283, 283/1, 281, 282 कुल रकबा 43–15 बीघा भूमि में स खातेदार नारायणराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्से का बैचान जीवणराम पुत्र पूसाराम जाति जाट को किया जाना अंकित है, इसी बैचान के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 411 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें भी नारायणराम के स्थान पर जीवणराम पुत्र पूसाराम जाट सा. देह खातेदार दर्ज किया गया है लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2042–45 पेश की है जिसमें नामान्तकरण संख्या 411 का नोट अंकित करते हुए नारायणराम के स्थान पर जीवण पुत्र हुक्माराम इन्द्राज किया गया है जबकि बैचान दस्तावेज एंव नामान्तकरण संख्या 411 में जीवणराम पुत्र पूसाराम जाट सा. देह दर्ज है, तत्पश्चात खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम जीवण पुत्र हुक्माराम ही दर्ज चला आ रहा है वर्तमान सेटलमेन्ट में इस भूमि के नवीन खसरा नम्बर 658, 659, 660, 661, 662 कुल रकबा 4.95 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 657 रकबा 2.14 हैक्टयर कायम हुए है जो खसरा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में भी जीवण पुत्र हुक्मा हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से जानकारी करने पर उपस्थित सही ने प्रार्थी के दादा का नाम पूसाराम होना बताया है तथा जीवणराम पुत्र पूसाराम व जीवण पुत्र हुक्मा ग्राम दोनों नामों का एक ही व्यक्ति होना बताया है। प्रस्तुत रिकार्ड से भी साबित होता है कि प्रार्थी के पिता की वल्दीयत पूसाराम ही है जीवण पुत्र हुक्मा मात्र लिपिकिय गलती से दर्ज हुआ है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होता है स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रशासन गांवों संग अभियान 2021 कैम्प बागोट में स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोट के खसरा नम्बर 658, 659, 660, 661, 662 कुल रकबा 4.95 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 657 रकबा 2.14 हैक्टयर भूमि दर्ज जीवण पुत्र हुक्मा हिस्सा 1/6 के स्थान पर जीवणराम पुत्र पूसाराम हिस्सा 1/6 दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्ती किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को शिविर में मजमें आम सुनाया गया।

04/10/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)